अपने स्तर पर, जैसे टोनी ब्लेयर जी ने यह मामला उठाया, जैसे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह प्रस्ताव पारित हुआ–संसदीय कार्य मंत्री जी मेरी बात सुनें, आप उधर बात कर रहे हैं, रूसी नागरिक महिला आपसे गुहार लगा रही है और उसकी गुहार मैं अपनी जुबान से आपके सामने रख रही हैं–भारतीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कजाकिस्तान में बस रहे हिन्दुओं की हित रक्षा करे, उनको मार करके बाहर गिरा दिया गया है–रति मंजरी यहां आयी हैं,–आप उन हिन्दुओं की रक्षा करें और खड़े होकर यह आश्वासन दीजिए कजाकिस्तान में बस रहे कृष्ण भक्तों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों से भारत सरकार उन्हें निजात दिलाएगी, भारत सरकार कजाकिस्तान सरकार से तुरंत वार्ता करेगी और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। धन्यवाद

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: केवल असोसिएट कीजिए। किसी को बोलने के लिए ..(व्यवधान)..

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सर, मैं बोल नहीं रहा हूं। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लें। हम लोगों से कुछ नाराज़गी हो तो बात दूसरी है।

श्री उपसभापति: नाराज़गी की बात नहीं है, कल ही डिसीज़न हुआ है।

श्री वीरेन्द्र भाटिया: कुछ आप दूसरे मैंबर्स को भी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे?

श्री उपसभापति: देखिए, आप असोसिएट कीजिए।

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सर, मैंने आपसे वादा किया है और अगर मैं एक मिनट से ज्यादा लूं तो आप मुझे बिठा दीजिएगा। मैं स्वयं को समाजवादी पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव से संबद्ध करता हूं। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से जो प्रतिक्रिया अपेक्षित थी, वह नहीं आयी–टोनी ब्लेयर की प्रतिक्रिया आई - यह बहुत दुखद है और इस पर भारत सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए।

Demand for suspension of Police Officer for making Derogatory Remarks about Imarat-e-sariah in Phulwari Sharif near Patna

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): धन्यवाद महोदय, पटना के समीप फुलवारी शरीफ में ''इमारत-ए-शरिया'' नाम का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थान है जिसके साथ लाखों मुसलमान, हिन्दू और अन्य धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं। महोदय, यह वही संस्थान है जिसकी जब बुनियाद रखी गयी थी तो हमारे देश के राष्ट्रीय नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी उस समारोह में गए थे और उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। 2005 में माननीय राष्ट्रपति जी भी उस संस्थान में गए थे। महोदय, इस संस्थान के माध्यम से देश के लाखों-करोड़ों हिन्दुओं और

मुसलमानों के बीच में साम्प्रदायिक सद्भावना और भाईचारे का संदेश जाता है। महोदय, उत्तर प्रदेश की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पुलिस सप्ताह मनाया गया था। उस पुलिस सप्ताह मे बी॰ के॰ भल्ला नाम के एडिश्नल डी॰ जी॰ ने इस संस्थान के सिमी से जुड़े होने का, लश्करे तैयबा से जुड़े होने का और आईएसआई से जुड़े होने का घृणास्पद आरोप लगाया है। महोदय, एक प्रस्तुतिकरण पुलिस पदाधिकारियों की ओर से हुआ था, उस प्रस्तुतिकरण में इस प्रकार का आरोप लगाया गया। दिनांक 28 नवम्बर 2004 को, दिल्ली से एक उर्दू दैनिक प्रकाशित होती है ''हिन्दुस्तान एक्सप्रेस'' उसमें यह समाचार छपा था, जिसका शीर्षक था ''इमारत-ए-शरिया-दहशतगर्दों का महफूज़ स्थान''। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में शांति हो, सद्भावना हो, साम्प्रदायिक सद्भाव रहे, इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार का एक पुलिस अधिकारी जो एडिश्नल डीजी के रैंक का अधिकारी है, रेलवे में नौकरी कर रहा है, इस प्रकार का अधिकारी, अगर ऐसे संस्थान पर इस प्रकार का घृणित आरोप लगाता है तो इससे देश में बहुत गलत संदेश जाएगा, देश की जो शांति व्यवस्था और सद्भावना है, उसको भंग होने का खतरा होगा। मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से कहना चाहूंगा कि जो पुलिस आफिसर देश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें, उसे सस्पेंड करें, डिसमिस करें।

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश): सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसी पर अपनी पार्टी की ओर से सदन को सिर्फ एक सूचना दे रहा हूं। शायद आपको सूचना नहीं है, आपने जिन भल्ला साहब के बारे में कहा है, राज्य सरकार द्वारा उनको निलंबित किया जा चुका है, उसकी जांच हो रही है और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है।

Need for central intervention in the implementation of Labour Laws in Haryana

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I seek to draw the attention of the House, through you, to the grave situation arising out of the stoppage of operations in three factories of Liberty Footwear in Karnal, Gharonda and Putel in Haryana throwing 3,500 workers out of employment and depriving them of their livelihood. Majority of them are Dalit workers and more than 500 of them are women workers. The whole problem started when the employers refused to implement the tripartite agreement under section 12(3) of the Industrial Disputes Act. Unfortunately, the law-enforcing machinery, which is also a party to this tripartite agreement, has sided with the employers in this violation process. They dismissed 127 workers in that process and thereafter an indefinite stoppage of operations in the factories is going on. After knocking at all the doors